24/09/2024 प्रार्थिका की ओर से वकील उपस्थित। प्रार्थिका ने प्रार्थना-पत्र पत्रावली सुनवाई तय करने हेतु पेश किया और निवेदन किया कि लोक अदालत के आदेश से प्रार्थिका T.I अवेदन पर सलाहित TI विक्रीकर करवाना चाहती है। प्रार्थना-पत्र पर मनन किया गया। व्यावहारिक प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर आज की पत्रावली को नोट पर लिया गया। प्रार्थिका संख्या 01, 05, 06, 07 कमला श्रीमती कैलाश देवी [illegible] लालाराम। केशाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:26:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामि में जारी हुए

मांगीलाल, वंशानुगत पितारान बंजारा ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-22 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 अन्तर्गत O23 R01 CPC के अधीन प्रस्तुत कर प्रकरण अनवान की लंबित अस्थायी व्यादेश कार्यवाही प्रत्याहरित करने का निवेदन करते हुए लोकअदालत की भावना से स्वेच्छा से राजीनामा हो जाने के कारण T1 अनवान की कार्यवाही को आगे चलाना नहीं चाहते हैं इससे पूर्व प्रार्थी संख्या 02 से 04 नं अपनी सीमा के अस्थाई व्यादेश वेकेट करवा चुके हैं। अतः वादग्रस्त भाराजी के संबंध में जारी अन्तरिम व्यादेश दिनांक 14/03/2025 को वेकेट कराने हेतु मिल कर वकील (अधिवक्ता) प्रार्थी केरक्स 01, 05, 06, 07 को हुआ उपरांत प्रार्थी केरक्स की पहचान की गई। अतः व्यवहरित के उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भाराजी में संबंधित विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तरीम व्यादेश दिनांक 14/03/25 को वेकेट किया जाता है। प्रार्थी केरक्स 01 से 07 तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरीम व्यादेश दिनांक 14/03/25 को वेकेट करवा चुके है अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी केस 01, 5, 6, 7 के अनुसार एवं समझौते के विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। पक्षकारगण अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पक्षकार हुक्म के पालना करें।

RL
प्रीति कंवरिया

सांगीलाल
हंजारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:26:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Scanned with OKEN Scanner